(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ)

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

जी. संख्या 162 **नई दिल्ली 16 अक्तुबर 2008**

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, विशाखापटणम पत्तन न्यास में अपने प्रचालनों के लिए विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं.टीएएमपी/12/2007-वीसीटीपीएल

विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) ..... आवेदक

आदेश
(सितंबर 2008, के 30 वें दिन पारित)

यह प्रकरण विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) में विशाखा कंटेनर टर्मिनल पर अपने प्रचालनों के लिए विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) के प्रचलित दरमान की वैधता के विस्तार से संबन्धित है।

2. वीसीटीपीएल के वर्तमान दरमान (एसओआर) को राजपत्र सं. 152 द्वारा भारत का राजपत्र दिनांक 25 जुलाई 2007 में प्रकाशित किया गया था। दरमान की वैधता दिनांक 31 मार्च 2008 तक निर्धारित की गयी थी।

3. वीसीटीपीएल ने फरवरी 2008 में अपने दरमान (एसओआर) में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव दाखिल किया है। चूँकि प्रस्ताव परामर्श अवस्था में था, इस प्राधिकरण ने वीसीटीपीएल के वर्तमान दरमान की वैधता को 31 जुलाई 2008 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो तब तक विस्तार प्रदान करते हुए दिनांक 22 अप्रैल 2008 को आदेश सं. टीएएमपी/12/2007-वीसीटीपीएल पारित किया था।

4. चूँकि वर्तमान एसओआर की वैधता समाप्त हो गयी है, वीसीटीपीएल ने वर्तमान एसओआर की वैधता को संशोधित दरों के कार्यान्वयन तक विस्तारित करने का अनुरोध किया है।

5. वीसीटीपीएल द्वारा दाखिल किये हुए प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि वर्तमान दरमान की वैधता दिनांक 31 जुलाई 2008 को संयुक्त सुनवाई के उपरान्त समाप्त हो गयी है, यह प्राधिकरण वर्तमान दरमान की वैधता को उसकी समाप्ति तिथि से 31 दिसंबर 2008 तक अथवा अनुमोदित होनेवाले संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक विस्तार प्रदान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष